2021/143

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट	**बनाम**	**अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट**
श्री कान्तिलाल उपाध्याय जाति उपाध्याय निवासी ब्रह्मपुरी मौहल्ला सांतपुर तहसील आबूरोड जिला सिरोही।		सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही

किस्म मुकदमा– **अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005** मुकदमा नं. 55 वर्ष 2021

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
03.08.2021	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई । अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे । अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही को दिनॉक 12.06.2021 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि अपीलार्थी द्वारा दिनांक 08.03.2020 को जिला कलक्टर सिरोही को माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में दर्ज जनहित याचिका संख्या 7509/2016 में पारित निर्णय आदेश 13.11.2018 की अवमानना कर ग्राम सांतपुर में स्थित दहोश्वर तालाब की भूमि खसरा सं. 591 व 529 में से सम्पूर्ण अवैध अतिक्रमण नहीं हटाने बाबत व वर्तमान में ग्रामवासियों द्वारा तालाब की भूमि में अवैध पक्का/कच्चा अवैध अतिक्रमण कर तारबन्दी को तोडकर मन्दिर चबूतरा प्लास्टिक डालकर बनाए गए झोंपडे, बाडों को तत्काल हटाने हेतु अभ्यावेदन दिया गया तथा अभ्यावेदन पर कार्यवाही नहीं करने पर दिनांक 08.04.2020 को प्रथम व दिनांक 29.05.2020 को द्वितीय स्मरण पत्र भेजे गए। अतः उक्त अभ्यावेदन एवं स्मरण पत्रों पर क्या कार्यवाही हुई उसके समस्त आदेशें की प्रमाणित प्रति एवं पत्र पर अंकित दो बिन्दुओं से सम्बन्धित प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था । किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं । मैने पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रुपये 10 जमा करा दिये है । अपीलांट द्वारा लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही को दिनॉक 12.06.2021 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि अपीलार्थी द्वारा दिनांक 08.03.2020 को जिला कलक्टर सिरोही को माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में दर्ज जनहित याचिका संख्या 7509/2016 में पारित निर्णय आदेश 13.11.2018 की अवमानना कर ग्राम सांतपुर में स्थित दहोश्वर तालाब की भूमि खसरा सं. 591 व 529 में से सम्पूर्ण अवैध अतिक्रमण नहीं हटाने बाबत व वर्तमान में ग्रामवासियों द्वारा तालाब की भूमि में अवैध पक्का/कच्चा अवैध अतिक्रमण कर तारबन्दी को तोडकर मन्दिर चबूतरा प्लास्टिक डालकर बनाए गए झोंपडे, बाडों को तत्काल हटाने हेतु अभ्यावेदन दिया गया तथा अभ्यावेदन पर कार्यवाही नहीं करने पर दिनांक 08.04.2020 को प्रथम व दिनांक 29.05.2020 को द्वितीय स्मरण पत्र भेजे गए। अतः उक्त अभ्यावेदन एवं स्मरण पत्रों पर क्या कार्यवाही हुई उसके समस्त आदेशें की प्रमाणित प्रति एवं पत्र पर अंकित दो बिन्दुओं से सम्बन्धित प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर लोक सूचना अ[illegible]रिक्त जिला कलक्टर सिरोही को आदेशित किया जाता [illegible] मांगी गई समस्त सूचना तत्काल नियमानुसार उपलब्ध करावे । यदि सूचना [illegible] नियमों में संभव नही हो तो स्पेसीफिक आदेश पारित कर अपीलांट को सूचित करें । पत्रावली फैसल [illegible] होकर नंबर से कम हो । (भगवती प्रसाद) **जिला कलक्टर, सिरोही**	

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.10.15 12:14:37 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner